इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, CHANDRABHAN TIWARI S/O BAIJNATH PRASAD TIWARI, निवासी– 127, ए–ब्लाक, प्रेमनगर, नारियलखेड़ा, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे पुत्र ASHRAY TIWARI की अंकसूची, दस्तावेजों में मेरा नाम C B TIWARI दर्ज हो गया है. जहां कहीं भी मेरा नाम C B TIWARI दर्ज है. उसके स्थान पर CHANDRABHAN TIWARI पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(C B TIWARI)

नया नाम
(CHANDRABHAN TIWARI)

(G-312)

CHANGE OF NAME

I, AJAY KUMAR have changed my name to AJAY SHARMA S/O GAJANAND SHARMA and now I would be known as AJAY SHARMA S/O GAJANAND SHARMA.

Old Name
(AJAY KUMAR)

New Name
(AJAY SHARMA)
Add.:- 162-B, Scheme No. 71,
Indore (M.P.).

(G-313)

नाम परिवर्तन

मैं, VINOD KUMAR REKWAR S/o. GOVARDHAN LAL, निवासी– 687, डी–3, ए–सेक्टर, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम VINOD KUMAR दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम VINOD KUMAR दर्ज है. उसके स्थान पर VINOD KUMAR REKWAR पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(VINOD KUMAR)

नया नाम
(VINOD KUMAR REKWAR)

(G-314)

नाम परिवर्तन

मैं, SUNIL KUMAR CHOUDHARY S/o. JAISPAL CHOUDHARY, निवासी– म.नं. 427, आई.बी.डी. रायसिना, पटेल नगर, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SUNIL KUMAR दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम SUNIL KUMAR दर्ज है. उसके स्थान पर SUNIL KUMAR CHOUDHARY पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(SUNIL KUMAR)

नया नाम
(SUNIL KUMAR CHOUDHARY)

(G-315)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विशाल बागरी, आयु 27 वर्ष, आत्मज स्व. श्री राम कुमार बागरी, निवासी– म.नं. 2132, बेदी नगर, पी.एच.ई. ऑफिस, रानी दुर्गावती वार्ड, गढ़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ, पूर्व में मेरा नाम विशाल बागरी था, मेरे समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा उपनाम बागरी दर्ज है, मैंने अपने उपनाम को बागरी के स्थान पर बघेल कर लिया है, जो कि एक ही जाति के उपनाम हैं. अतः, भविष्य में मुझे विशाल बागरी के स्थान पर विशाल बघेल के नाम से जाना–पहचाना, लिख पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

इस बाबत् मैंने वैधानिक प्रकिया पूर्ण कर ली है.

पुराना नाम
(विशाल बागरी)

नया नाम
(विशाल बघेल)
निवासी–2132, बेदी नगर, पी.एच.ई.
ऑफिस गढ़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482003.

(G-316)

जाहिर सूचना

This is to inform that the Firm M/s. "LOTUS INFRAWAYS" (Reg. No. 07-35-01-0002-20) Dated 16 June 2020 Year 2020-21 Situated at 14, Sudama Nagar, Scheem No. 1, Mandsaur, Mandsaur (M.P.)-458001 has Retired Mr. Harish Vijayvargiya S/o Premdas Vijayvargiya, W.E.F. 23 January 2021 as per Indian Partnership Act, 1932 and has incoming as a Partner Mr. Girish Chandwani S/o Rajendra Chandwani, Mr. Ujjwal Mehta S/o Vinod Kumar Mehta, Mrs. Anju Mehta W/o Ujjwal Mehta, W.E.F. 23 January 2021 as per Indian Partnership Act, 1932. Further inform that Registered Office of the firm has at 11-12, Ward No. 37, Satyam Vihar, Mandsaur (M.P.)-458001 W.E.F. 23 January 2021 as per Indian Partnership Act, 1932.

(Prateek Dosi) (Partner),
M/s. LOTUS INFRAWAYS,
Add.: 14, Sudama Nagar, Scheem No. 1,
Mandsaur (M.P.)-458001.

(G-317)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण सेंगर शपथ करता हूँ कि मेरी 10 वीं, 12 वीं एवं बीई की अंकसूची में मेरे नाम की स्पेलिंग PRAVIN SENGAR दर्ज है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग PRAVEEN SENGAR दर्ज है. अतः दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं, भविष्य में मुझे PRAVEEN SENGAR के नाम से ही जाना व पहचाना जाये. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम
(PRAVIN SENGAR)

नया नाम
(PRAVEEN SENGAR)
पुत्र–श्री देवेन्द्र पाल सिंह सेंगर,
निवासी– 435, सुरेश नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर.

(G-318)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम पंकजधर द्विवेदी था, अब मेरा नाम विद्याधर द्विवेदी आत्मज श्री विजयधर द्विवेदी है, अब मुझे विद्याधर द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाएगा. निवासी– मकान नं. 13/एफ, सुन्दर नगर, राम मंदिर के पास, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्यप्रदेश.

पुराना नाम
(पंकजधर द्विवेदी)

नया नाम
(विद्याधर द्विवेदी)

(G-319)

सरनेम परिवर्तन

मैं, श्याम सुन्दर सोनी उर्फ श्याम सुन्दर भामा आ. स्व. श्री देवीलाल सोनी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी जाकिर हुसैन वार्ड, पिपरिया, तह. पिपरिया, जिला होशंगाबाद का स्थायी निवासी हूँ. मैं, श्याम सुन्दर सोनी उर्फ श्याम सुन्दर भामा एक ही व्यक्ति के नाम हैं, दोनों नामों से जाना जाता हूँ. मैंने दिनांक 01 जुलाई, 2021 को श्याम सुन्दर सोनी उर्फ श्याम सुन्दर भामा द्वारा यह शपथ पत्र दिया है कि आज दिनांक 01 जुलाई, 2021 से श्याम सुन्दर सोनी आ. स्व. श्री देवीलाल सोनी के नाम से जाना जावे व पढ़ा जावे मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज करा लिया है. सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों में मेरा नाम श्याम सुन्दर सोनी के नाम से लेन देन वैध होगा.

पुराना नाम
(श्याम सुन्दर भामा)
निवासी–जाकिर हुसैन वार्ड,
पिपरिया, तह. पिपरिया,
जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

नया नाम
(श्याम सुन्दर सोनी)
आ. स्व. श्री देवीलाल सोनी,
तह. पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

(G-320)

नाम परिवर्तन

मैं, सौरभ पुंज पिता श्री विजय कुमार शर्मा, उम्र 37 वर्ष, पेशा– वरिष्ठ प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रसल चौक, जबलपुर, मूल निवासी ग्राम सिलौंजा, बेलागंज, गया, बिहार–804403, हालमुकाम– ए–402, दत्त टाउनशिप, तिलहरी, जिला जबलपुर, म.प्र. का होकर, शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ की मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय व शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम सौरभ पुंज पिता विजय कुमार शर्मा अंकित है. अब मैं, अपना नाम सौरभ पुंज के स्थान पर सौरभ पुंज शर्मा करवाना चाहता हूँ. यही मेरा पूरा व वास्तविक नाम है. अतः मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम आज दिनांक से सौरभ पुंज के स्थान पर सौरभ पुंज शर्मा पढ़ा व लिखा, माना व समझा जावे. इस बाबत मैंने वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली है.

पुराना नाम
(सौरभ पुंज)

नया नाम
(सौरभ पुंज शर्मा)

(G-321)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम यासीन पटेल पिता गुलाब पटेल है, जो कि यही सही है. जबकि स्कूल के दस्तावेजों में यासीन मोहम्मद पिता गुलाब खां पिता लाला पटेल दर्ज है.

अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम यासीन पटेल पिता गुलाब पटेल के नाम से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम
(यासीन मोहम्मद)
पिता–गुलाब खां पिता लाला पटेल.

नया नाम
(यासीन पटेल)
पिता गुलाब पटेल,
मकान 7, रोड नम्बर 1, नेहरु नगर,
इन्दौर, मध्यप्रदेश.

(G-322)

नाम परिवर्तन

मैं, गायत्री राणा पत्नि श्री कल्याण सिंह राणा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ. मेरा घर का नाम बन्टी देवी था जो मेरी बीमा पॉलीसी क्रमांक 202322087 में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मुझे गायत्री राणा पत्नि श्री कल्यान सिंह राणा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम गायत्री राणा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती रहूँगी. गायत्री राणा एवं बन्टी देवी दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 202322087 में मेरा नाम बन्टी देवी के स्थान पर गायत्री राणा लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
(बन्टी देवी)

नया नाम
(गायत्री राणा)
पत्नि–श्री कल्यान सिंह राणा,
पता–राणा वाली गली, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(G-323)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby Given that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersingned and Shri Mayank Kumar Sahita, vide deed of partnership dated 17th July 2013 for carrying on business of Mining, crushing and Manufacturing in the firm name and style as M/s Shipra Minerals at Bhopal has been changed. The detail of change is as under:-

"Shri Raunak Sahita have joined the firm as new partner. Date 28th day of February 2020".

And

"Shri Abhinay Singh Thakur Partner of the firm retired in the firm wef 12th day of March 2020".

For: M/s Shipra Minerals,
(Mayank Kumar Sahita) (Partner),
M/s. Shipra Minerals,
G-1, Sagar Apartment, Lalalajpat Rai Society,
E-7/76, Arerea Colony, Bhopal-462016.

(G-324)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्रवीण उद्योग (PRAVEEN UDYOG) जो प्लाट नं. 5, सेक्टर ई, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल 420023 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 1997–78–79, दिनांक 01 जनवरी 1979 जिसमें से दिनांक 03 मई 2021 को भागीदार श्री शिव प्रसाद बंसल पुत्र श्री ननूमल बंसल, निवासी हाउस नं. 144, सेक्टर ए, इन्द्रपुरी, भोपाल 420023 का स्वर्गवास (दिनांक 03 मई 2021) होने से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03 मई, 2021 से श्रीमति शैल गुप्ता पुत्री श्री शिव प्रसाद बंसल (पत्नी संजीव गुप्ता), निवासी 301/टी14, आरपीएस सवान्ना खेरी रोड, सेक्टर–86, वीटिसीः खेरी कलां, फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमति सची मित्तल पुत्री श्री शिव प्रसाद बंसल (पत्नी पीयूष मित्तल), निवासी–फ्लैट 304, प्लेटिनियम टावर, निखिल नेस्ले, होशंगाबाद रोड, भोपाल–420026 एवं श्रीमति कृष्णा बंसल पत्नि स्व. श्री शिव प्रसाद बंसल, निवासी हाउस नं. 144, सेक्टर ए, इन्द्रपुरी, भोपाल–420023 नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स प्रवीण उधोग
अंजलि कान्त पत्नि श्री अंशुमन बंसल,
(भागीदार).

(G-325)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन (A.B. CONSTRUCTION) जो सी–4, परिजात कमर्शियल काम्प्लेक्स, ई. 5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–420016 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01–01–01–00193–08, दिनांक 04 दिसम्बर 2008 जिसमें से दिनांक 30 अप्रैल 2021 को भागीदार श्री हनीफ अंसारी पुत्र श्री रामजनी अंसारी, निवासी बी–82, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल–420016 का स्वर्गवास (दिनांक 30 अप्रैल, 2021) होने से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से श्रीमति शाहीन अंसारी पत्नी स्व. श्री हनीफ अंसारी, निवासी बी–82, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल–420016, नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गईं हैं. एवं दिनांक 30 अप्रैल 2021 को ऑफिस का पता ए–7, माचना कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल–420016, मध्यप्रदेश पर हो गया है.

मैसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन,
सोनल बैस पुत्र बी सी बिस,
(भागीदार).

(G-326)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार M/s New Life Homoeo Distributor फर्म के साझेदार 1. Mohd Zaheer, 2. Rumana Khan के निर्देशानुसार सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s New Life Homoeo Distributor फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल में पंजीयन क्र. 01–03–01–00147–12, दिनांक 16 जुलाई 2012 है, जिसमें कि 1. Mohd Zaki S/o Dr. M. Ilyas, 2. Mrs. Ishrat Begum W/o Dr. M. Ilyas, 3. Mrs. Shagufta Zakariya W/o Dr. M. Zakariya, 4. Mrs. Saima Parveen W/o Mr. M. Zaki, 5. Mrs. Arshi Faizan W/o Mr. M. Faizan, 6. Mr. Mohd Salman S/o Dr. Mohd Ilyas, दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये. उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय–अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा साथ ही फर्म में दिनांक 13 दिसम्बर 2017 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया हैं. फर्म में 2 (दो) नये भागीदारों को सम्मिलित/शामिल किया गया Mohd Azam S/o Late Dr. Mohd Ilyas भागीदार क्र. 9 कहलायेंगे Mrs. Tasneem Arif W/o Mohd Zaheer भागीदार क्र. 10 कहलायेंगे उक्त भागीदारगण, निवासी 24, Prince Colony Idgah Hills, Bhopal है. उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मिलित/शामिल साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे. सर्वसाधाराण को सूचित हों.

एन. के. साहू
(अधिवक्ता)
एफ–9, एलाईड काम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल.
मो. 9826450122.

(G-327)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म मैसर्स एस. व्ही. इन्टरप्राईजेस जो डब्लू 22, गुना स्टील आर–रोलिगं मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ए. बी. रोड, गुना में स्थित है, जिसके पं. क्र. 02–40–01–00200–14 एवं दिनांक 22 मार्च, 2014 को पंजीकृत है. इसमें दिनांक 26 जुलाई, 2021 को भागीदार श्री विवेक सिंघल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंघल एवं श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री माखन लाल जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 26 जुलाई, 2021 को श्री राजकुमार चंदेल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चंदेल एवं अभिषेक चंदेल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चंदेल, निवासीगण गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स एस. व्ही. इन्टरप्राईजेस
विवेक सिंघल
(भागीदार)
रोलिगं मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
ए. बी. रोड, गुना, मध्यप्रदेश.

(G-328)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स साक्षी स्टील, पता–बी–33, न्यू लोहा मण्डी, स्कीम नं. 78, पार्ट–1, देवास नाका, इन्दौर, मध्यप्रदेश. जिसका पंजीयन क्रमांक IF–128–98–99, दिनांक 15 दिसम्बर 1998 से एक भागीदारी फर्म है.

अब दिनांक 05 अगस्त, 2021 से उक्त भागीदारी फर्म में श्री आयुष मित्तल जी नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

अब इस फर्म का संचालन श्री महेश प्रसाद मित्तल जी, श्री संजय मित्तल एवं श्री आयुष मित्तल जी कर रहे हैं.

मैसर्स साक्षी स्टील
महेश प्रसाद मित्तल जी,
(भागीदार)
B-33, New Loha Mandi, Sch. No. 78,
Part-1, Dewas Naka, Indore (M.P.).

(G-329)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस. एम. फिनटेक सर्विसेज, जिसका रजिस्टर में क्रमांक 03–27–01–0155–20, दिनांक 02 नवम्बर 2020 एवं पता–212, प्रिंसेस बिजनेस स्काईलाइन, ए. बी. रोड, विजयनगर, इन्दौर मध्यप्रदेश, दिनांक 25 अगस्त 2016 से एक भागीदारी फर्म है.

अब दिनांक 31 जुलाई 2021 को धीरज सिंह एवं अमित कुमार यादव फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, एवं मनमीत सिंह अरोरा और चन्द्र शेखर वर्मा इसी दिनांक से फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं. अब उक्त फर्म का संचालन धीरज सिंह एवं अमित कुमार यादव कर रहे हैं. इसी दिनांक को दोनों भागीदारों ने आपसी सहमती से फर्म का पता परिवर्तित करके फर्म का नया पता फ्लैट नं. 101, घर नं. 06, गली नं. 02, वैस्ट गुरू अंगद नगर, मेट्रो प्लेक्स मॉल के सामने, शकरपुर पूर्व दिल्ली कर लिया है. सो विदित हो.

मेसर्स–एस. एम. फिनटेक सर्विसेज
1. **धीरज सिंह,** (भागीदार)
2. **अमित कुमार यादव,** (भागीदार).

(G-330)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म (Fincorp Solution) पता–5/3, गोमती निवास स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 03–27–01–0193–19, सन् 2019–2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश में पंजीयत है. इस भागीदारी का गठन दिनांक 17 जून 2019 को श्री अभिनीत नयन पिता श्री नीरज नयन सिन्हा, श्री राहुल कुमार दुबे पिता श्री उदय शंकर दुबे, श्री आदर्श कुमार अरोड़ा पिता श्री तुलसीदेव अरोड़ा द्वारा किया गया, इस फर्म में दिनांक 07 जुलाई 2021 को भागीदार श्री राहुल कुमार दुबे पिता श्री उदय शंकर दुबे एवं श्री आदर्श कुमार अरोड़ा पिता श्री तुलसीदेव अरोड़ा अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं, तथा दिनांक 07 जुलाई 2021 को श्री नीतेश प्रसाद पिता श्री शंकर प्रसाद एवं श्री शंकर प्रसाद पिता श्री राजा राम को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया, फर्म वर्तमान में श्री अभिनीत नयन, श्री नितेश प्रसाद एवं श्री शंकर प्रसाद भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, फर्म का पुराना पता बदलकर नया पता–206, हर्षदीप एवेन्यू, प्लॉट नं. 157, चिकित्सक नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश है.

Fincorp Solution
(भागीदार)
Address- 5/3, Gomati Niwas, Scheme No. 54,
Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(G-331)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ नर्मदा ट्रेडर्स, पता–NH 7, वार्ड क्रमांक 4, राय सॉ मिल, मेन रोड, लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश पिनकोड 480886 है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04–14–01–0261–16, है, जो दिनांक 23 फरवरी 2016 को पंजीयत है. इस फर्म में साझेदार के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री श्रेष्ठ राय पिता श्री दिनेश राय, निवासी वार्ड नंबर–4, लखनादौन, जिला सिवनी को फर्म में सम्मिलित किए गये एवं उसी दिनांक को श्री गिरीश पाठक पिता स्व. श्री गोविन्द प्रसाद पाठक साझेदारी से पृथक् किए गये वर्तमान में श्री दिव्यान्श राय, श्री संतोष चौकसे, श्री दुर्गेश सिंह राजपूत, श्री श्रेष्ठ राय साझेदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं. फार्म नं. 05 संलग्न हैं.

दिव्यान्श राय, संतोष चौकसे,
दुर्गेश सिंह राजपूत, श्रेष्ठ राय,
पता–मेसर्स माँ नर्मदा ट्रेडर्स शिवाजी वार्ड क्रमांक 4,
राय सॉ मिल, मेन रोड, लखनादौन,
जिला सिवनी, (म.प्र).

(G-332)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सभी संबंधित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सैयद हारिस अली (SYED HARIS ALI) है, जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों में हारिस अली (HARIS ALI) अंकित/दर्ज है, इसलिए सभी जगह मेरा नाम हारिस अली (HARIS ALI) के स्थान पर सैयद हारिस अली (SYED HARIS ALI) अंकित हो और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(हारिस अली)
(HARIS ALI)

नया नाम
(सैयद हारिस अली)
(SYED HARIS ALI)
पुत्र–श्री सैयद मुनव्वर अली,
पता–म.नं. 36/2, नार्थ हरसिद्धि,
इन्दौर, मध्यप्रदेश.

(G-333)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम दिनेश गुर्जर पिता का नाम दगडूलाल था तथा वर्तमान में मेरा नाम दिनेश बिर्ला पिता का नाम दगडूलाल है. भविष्य में भी मेरा नाम दिनेश बिर्ला पिता दगडूलाल (DINESH BIRLA S/o DAGDULAL) के नाम से जाना एवं पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम
(दिनेश गुर्जर)
पिता–दगडूलाल,

नया नाम
(दिनेश बिर्ला)
दिनेश बिर्ला पिता–दगडूलाल, जाति गुर्जर,
निवासी–म.नं. 43, वार्ड–11, ग्राम ब्रम्हदड,
तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.

(G-334)

CHANGE OF NAME

I, Sinderpal Kaur W/o JC 340210F Sub Maj Amarjit Singh, Vill-Jajjal, Dist. Bathinda, Teh.-Talwandi sabo have changed my name from Sinderpal Kaur to Jaswinder Kaur in my husband army record/Document vide affidavit No. 3859 Date 24 January 2020 Talwandi sabo Punjab.

Old Name
(SINDERPAL KAUR)

New Name
(JASWINDER KAUR)
Add.:- Vill-jajjal, Dist. Bathinda,
Teh.-Talwandi sabo
Panjab.

(G-335)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि हमारी फर्म मेसर्स सिंघई राजाराम.तुलसीराम रघुनाथ गंज कटनी मुडवारा, कटनी (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1158 वर्ष 1979–1980, दिनांक 3 सितम्बर 1979 से फर्मों के रजिस्ट्रार, जबलपुर, संभाग जबलपुर में पंजीकृत है.

पूर्व में दो पार्टनर 1. देवकुमार सिंघई S/o श्री राजाराम, 2. श्रीमती अर्चना मलैया W/o श्री प्रकाश मलैया कार्य संचालित कर रहे थे जिसमें से 1. देवकुमार सिंघई S/o श्री राजाराम, दिनांक 29 दिसम्बर 2015 को मृत्यु हो जाने पर भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गये हैं, इसलिये उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये.

दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से नवीन पार्टनर सुनील कुमार रांधेलिया S/o देवकुमार सिंघई, निवासी रघुनाथ गंज कटनी (म.प्र.) के रूप में शामिल हुई है.

अब फर्म में मात्र दो भागीदार शेष हैं.

1. सुनील कुमार रांधेलिया S/o देवकुमार सिंघई, 2. श्रीमती अर्चना मलैया W/o श्री प्रकाश मलैया, जिसकी पार्टनरशिपडीड 10 फरवरी 2016 को बनाई गई एवं उस समय से आज दिनांक तक कोई पार्टनरशिपडीड में कोई संशोधन नहीं किया गया है एवं वर्तमान में श्री सिंघई सुनील कुमार रांधेलिया, 2. श्रीमती अर्चना मालवीय W/o श्री प्रकाश मालवीय पार्टनर है.

मेसर्स सिंघई राजाराम.तुलसीराम
सुनील कुमार रांधेलिया
(भागीदार)
Jhanda Bazar, Raghunath Ganj,
Katni (M.P.) 483501.

(G-336)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि हमारी फर्म मेसर्स एस.आर. तुलसीराम मिशन चौक कटनी मुडवारा, कटनी (म.प्र.) पंजीयन क्र. 04–15–03–00098–14 वर्ष 2014–2015, दिनांक 4 अगस्त 2014 से फर्मों के रजिस्ट्रार, जबलपुर, संभाग जबलपुर में पंजीकृत है.

पूर्व में तीन पार्टनर 1. देवकुमार सिंघई S/o श्री राजाराम, 2. सुनील कुमार रांधेलिया S/o देवकुमार सिंघई, 3. श्रीमती गुलाबीबाई रांधेलिया W/o श्री धन्य कुमार रांधेलिया, कार्य संचालित कर रहे थे जिसमें से 1. स्व. सिंघई देवकुमार S/o श्री राजाराम दिनांक 29 दिसम्बर 2015 को मृत्यु हो जाने पर भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गये हैं, इसलिये उन्हें दिनांक 30 दिसम्बर 2015 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये.

अब फर्म में मात्र दो भागीदार शेष हैं.

1. सुनील कुमार रांधेलिया S/o देवकुमार सिंघई, 2. श्रीमती गुलाबीबाई रांधेलिया W/o श्री धन्य कुमार रांधेलिया, जिसकी पार्टनरशिपडीड 10 फरवरी 2016 को बनाई गई एवं उस समय से आज दिनांक तक कोई पार्टनरशिपडीड में कोई संशोधन नहीं किया गया है एवं वर्तमान में श्री सुनील कुमार रांधेलिया और श्रीमती गुलाबीबाई रांधेलिया पार्टनर है.

मेसर्स एस. आर. तुलसीराम
सुनील कुमार रांधेलिया
(भागीदार)
Jhanda Bazar, Raghunath Ganj,
Katni (M.P.) 483501.

(G-337)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम अमायरा राजपूत पुत्री श्री संदीप राजपूत अंकित है. हमने उसका नाम परिवर्तित करके अनाया राजपूत पुत्री श्री संदीप राजपूत रख लिया है. भविष्य में उसे इसी नाम से जाना–पहचाना जाये.

(संदीप राजपूत)
A/165, विनय नगर सेक्टर–4,
लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(G-338)

नाम परिवर्तन

मैं, अयाज शेख पिता श्री इस्माईल शेख, निवासी 67, सुभाष मार्ग, वार्ड नं. 4, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शेख मोहम्मद अयाज पिता शेख इस्माईल मोहम्मद अंकित है एवं मेरे अन्य वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम अयाज शेख पिता श्री इस्माईल शेख अंकित है. दोनों नाम मेरे ही है एवं वर्तमान में अयाज शेख पिता श्री इस्माईल शेख नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम अयाज शेख पिता श्री इस्माईल शेख के नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(शेख मोहम्मद अयाज)

नया नाम
(अयाज शेख)
पता–67, सुभाष मार्ग, वार्ड नं. 4 मण्डलेश्वर,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).

(G-339)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कटारे एण्ड कम्पनी जो 27–1038, किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी मुरार ग्वालियर है, जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–00138–10, दिनांक 9 सितम्बर, 2010 है जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से भागीदार श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दयाल शर्मा फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 1. श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दयाल शर्मा, निवासी सिहपुर रोड, मुरार, 2. श्रीमती आशा कटारे पत्नि श्री बी.के.कटारे, निवासी किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी मुरार, 3. श्री गौरव कटारे पुत्र श्री राजेश कटारे, निवासी किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी मुरार फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स कटारे एण्ड कम्पनी
(राजेश कटारे)
भागीदार
किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी, मुरार
ग्वालियर, (म.प्र.).

(G-340)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms STONEX INFRA जो T-3315, Near ICICI Bank, Ram Kalan Nagar, Morar, Gwalior में स्थित है, जिसका पंजी.क्र. 02–42–01–0080–17, दिनांक 21 जून 2017 है, जिसमें दिनांक 04 अगस्त 2021 को फर्म का कार्यालय T-3315, Near ICICI Bank, Ram Kalan Nagar, Morar, Gwalior से परिवर्तित कर नवीन कार्यालयः– बी.एच. 13, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

M/S STONEX INFRA
(तेजवन्त जैन)
भागीदार
Add.: T-3315, Near ICICI Bank,
Ram Kalan Nagar, Morar, Gwalior.

(G-341)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स भवानी बायो एनर्जी, इन्डस्ट्रियल एरिया, कुटरवली, तह. कैलारस, जिला मुरैना स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02–44–06–0089–21, दिनांक 09 जुलाई 2021 है, जिसमें दिनांक 30 जून, 2021 को भागीदार 1. श्री मनीष गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरीचरण लाल गोयल, नि. 439, सुनेहरा रोड़, तह. सबलगढ़, जिला मुरैना, 2. श्री आयुष गोयल पुत्र श्री शिवचरण लाल गोयल, नि. 439, सुनेहरा रोड़, तह. सबलगढ़, जिला मुरैना स्वेच्छा से प्रथक हो रहे हैं एवं भागीदार श्री जगदीश प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामजी लाल सिंघल, नि. 15 नगर पालिका के पीछे, एम.एस. रोड़, तह. कैलारस, जिला मुरैना नवीन भागीदारी स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स भवानी बायो एनर्जी
(रवि कुमार सिंघल)
भागीदार
इन्डस्ट्रियल एरिया, कुटरवली, तह. कैलारस,
जिला मुरैना, (म.प्र.).

(G-342)

नाम परिवर्तन

मैं, लीना चौधरी (LEENA CHOUDHARY), पति श्री श्याम चौधरी, निवासी वार्ड नं. 5, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.), सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे विवाह पूर्व का नाम कु. ममता तुरकर (Ku. MAMATA TURKAR) पिता श्री नत्थूलाल तुरकर अंकित है तथा विवाह उपरांत मेरा नाम बदलकर लीना चौधरी (LEENA CHOUDHARY) पति श्री श्याम चौधरी हो चुका है तथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, समग्र आई.डी., राशन कार्ड, व्यापमं भोपाल के परीक्षा फार्म एवं रिजल्ट में मेरा नाम लीना चौधरी पति श्री श्याम चौधरी अंकित हो चुका है. उक्त दोनों मेरे ही नाम है जहां पर भी मेरा नाम कु. ममता तुरकर पिता श्री नत्थूलाल तुरकर अंकित हो, उसके स्थान पर अब भविष्य में भी मेरा नाम लीना चौधरी पति श्री श्याम चौधरी अंकित व संबोधित किया जाये.

पुराना नाम
(कु. ममता तुरकर)
(Ku. Mamata Turkar)

नया नाम
(लीना चौधरी)
(LEENA CHOUDHARY)
पता–वार्ड नं. 5, कटंगी,
जिला, बालाघाट (मध्यप्रदेश)

(G-343)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अंजली कन्सलटेन्टस, पंजीयन क्रमांक 04–14–07–00211–2015 , दिनांक 02 जनवरी, 2015 है. यह कि भागीदारी अभिलेख दिनांक 10 अप्रैल 2018 के अनुसार श्रीमती अंजली त्रिपाठी पत्नि श्री संजय त्रिपाठी, पता–मकान नम्बर 5, रचना कैम्पस, फेस–2, चूना भट्टी, भोपाल से स्थानांतरित कर मुख्य पता–सी–403, रूद्रा अपार्टमेन्ट, प्लाट नं. 12, सेक्टर–6, द्वारका सेक्टर–6, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली–110075 किया गया है.

M/S ANJALI CONSULTANTS
अंजली त्रिपाठी
(भागीदार)
F.No. 602, Block-C, Pebble Heights,
Katara, Bhopal-462020 (M.P.).

(G-344)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स गोविन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी, 337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) के पार्टनर श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीलाल शर्मा, निवासी–: डी.–523, सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) का स्वर्गवास दिनांक 13 मई 2021 को हो जाने के कारण फर्म में संशोधन कर श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीलाल शर्मा, को फर्म से पृथक् कर दिया है एवं श्री नीरज शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण शर्मा, निवासी–डी.– 523, सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं साथ ही फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार श्री आदित्य शर्मा पुत्र स्व. श्री विनोद शर्मा निवासी–337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म में सम्मिलित किया है, संशोधन दिनांक 02 मई 2021 को किया गया है, शेष सभी पार्टनर भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होगें और ये फर्म के चालू रहने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स गोविन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी
विजय शर्मा
(भागीदार)
337–बी, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-345)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हाजी कम्पनी फर्म जिसका पता– 501, महात्मा गाँधी रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 2569, दिनांक 16 मार्च, 1973 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. अब्दुल अजीज शेख पिता हाजी शफी, 2. गुल मोहम्मद पिता हाजी अली, 3. मोहम्मद शादाब पिता गुल मोहम्मद, 4. मोहम्मद इस्माइल शेख पिता अब्दुल अजीज, 5. सलीम हाजी हबीब सिद्धिकी पिता हाजी हबीब, 6. मोहम्मद अशफाक सिद्धिकी पिता इब्राहिम सिद्धिकी थे. तत्पश्चात् दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को गुल मोहम्मद पिता हाजी अली की मृत्यु हो गयी थी तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को मोहम्मद शादाब पिता गुल मोहम्मद भागीदारी फर्म मेसर्स हाजी कम्पनी से पृथक् हो गये हैं. मोहम्मद शादाब पिता गुल मोहम्मद ने भागीदारी फर्म मेसर्स हाजी कम्पनी से अपना पूर्ण हिसाब–किताब कर लिया एवं कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है. यह विदित हो.

मेसर्स हाजी कम्पनी
1. **अब्दुल अजीज शेख,**
2. **मोहम्मद इस्माईल शेख,**
3. **सलीम हाजी हबीब सिद्धिकी,**
4. **मोहम्मद अशफाक सिद्धिकी**

(पार्टनर).

(G-346)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स कंक्रीट कंपोनेट्स, सागर (मध्यप्रदेश) निवृत्त फर्म में संशोधन फलस्वरूप दो पार्टनर श्री कमल चंद जैन, श्री पीयूष नाहर, दिनांक 30 अप्रैल 2002 को फर्म में निवृत्त किये जा रहे हैं तथा यह संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है.

मेसर्स कंक्रीट कंपोनेट्स
वर्तमान साझेदार सागर (म. प्र.)
(श्री सौरभ जैन)

(श्री प्रेम चंद जैन)

(G-347)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स सागर सीमेंट प्रोडक्ट्स, सागर (मध्यप्रदेश) निवृत्त फर्म में संशोधन फलस्वरूप दो पार्टनर श्रीमती इंदिरा जैन, श्री पीयूष नाहर, दिनांक 30 अप्रैल 2002 को फर्म में निवृत्त किया जा रहा है तथा यह संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है.

मेसर्स सागर सीमेंट प्रोडक्ट्स
वर्तमान साझेदार सागर (म. प्र.)
(श्री सौरभ जैन)

(श्री प्रेम चंद जैन)

(G-348)

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स उज्जैन मेडिकोस (भागीदारी फर्म) जिसका गठन 05 सितम्बर 2015 को 49, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय पर हुआ था एवं उक्त फर्म का पंजीकृत क्रमांक 07–33–01–0187–21, दिनांक 22 मार्च 2021 है. गठन के समय फर्म में 2 भागीदार थे 1. श्रीमती विजेता जीनवाल पति श्री डॉ. हेमन्त जीनवाल एवं 2. श्री देवेन्द्र चौहान पिता श्री रामदत्त चौहान. फर्म में दिनांक 18 सितम्बर 2020 को संशोधन विलेख के माध्यम से, उसी दिनांक से प्रभावशील 2 नए भागीदार शामिल किये गए हैं. 1. डॉ. हेमन्त जीनवाल पिता श्री हरिकिशन जीनवाल एवं 2. श्री यश जीनवाल पिता श्री राजेश जीनवाल. भागीदार विलेख में संशोधन 18 सितम्बर 2020 से प्रभावशील हो गया है.

दिनांक 18 सितम्बर 2020 को, भागीदारी संशोधन विलेख के पश्चात् वर्तमान में फर्म मेसर्स उज्जैन मेडिकोस में चार भागीदार हैं–

1. श्रीमती विजेता जीनवाल पति श्री डॉ. हेमन्त जीनवाल,
2. श्री देवेन्द्र चौहान पिता श्री रामदत्त चौहान,
3. डॉ. हेमन्त जीनवाल पिता श्री हरिकिशन जीनवाल एवं
4. श्री यश जीनवाल पिता श्री राजेश जीनवाल.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स– उज्जैन मेडिकोस
देवेन्द्र चौहान (पार्टनर).

(G-349)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

जावरा, दिनांक 27 जुलाई 2021

फार्म 4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

क्र. 2737–रीडर–1–21.–आवेदक सुदेश पिता झमकलाल खारीवाल, निवासी खारीवाल मोहल्ला, जावरा द्वारा धारा 4 (2) मध्यप्रदेश ट्रस्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 27 अगस्त 2021 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोप. 02.30 बजे की जावेगी.

अतः, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 27 अगस्त 2021 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण

1. न्यास का पूरा नाम	:	Mind Body Soul International Holistic Centre of Jaora पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट.
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक

हिमांशु प्रजापति, रजिस्ट्रार.

(G-350)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश

बण्डा, दिनांक 22 जून 2021

ग्राम–बण्डा, तहसील बण्डा.

काशी यादव पिता गोरेलाल यादव, अध्यक्ष

निवासी नानकपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश. .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

इश्तहार

क्र.–क–क्यू.–रीडर–1–2021–रा.प्र.क्र.01–बी–113(1)–2020–21.–सर्व–साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक काशी यादव पिता गौरेलाल यादव, निवासी नानकपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) द्वारा मौजा ग्राम नानकपुर में स्थित श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर लोक न्यास, ग्राम नानकपुर, तहसील शाहगढ़, न्यास एवं न्यासधारी के न्यास मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 4 के अधीन लोक न्यास का पंजीयन कराने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

क्र. (1)	प्रस्तावित नाम (2)	पदनाम (3)	निवास का पता (4)
1.	श्री काशी पिता गोरेलाल	अध्यक्ष	नानकपुर
2.	श्री ब्रजेश पिता लक्ष्मन यादव	उपाध्यक्ष	घुटरई
3.	श्री रूपसींग पिता गुलाब यादव	कोषाध्यक्ष	नानकपुर
4.	श्री मथरा पिता रामदयाल यादव	सचिव	नानकपुर
5.	श्री गोपी पिता चेपें यादव	सदस्य	नानकपुर
6.	श्री रतीराम पिता बाबूलाल यादव	सदस्य	घुटरई
7.	श्री अशोक पिता दयाली यादव	सदस्य	नानकपुर
8.	श्री छोटेलाल पिता जगन्नाथ यादव	सदस्य	नानकपुर
9.	श्री संतनाम पिता परमू यादव	सदस्य	नानकपुर
10.	श्री रामराज पिता काशीराम उर्फ हल्केबंदू	सदस्य	नानकपुर

(एक) लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप एवं उददेश्य

यह सर्व विदित है कि " श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर लोक न्यास ग्राम नानकपुर" एक अति प्राचीन सार्वजनिक मंदिर है, इस मंदिर में प्राचीन समय से हिन्दु सनातन धर्मावलंबी सभी ग्रामवासी सार्वजनिक रूप से पुण्य अर्जन हेतु धार्मिक, पूर्त, नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय लोक हित के उददेश्य से इस मंदिर में नैमित्यक पूजा–अर्चना, यज्ञ–हवन, कथा–पुराण, भजन–संर्कीतन, रामायण–पाठ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान तथा श्रीरामनवमी, श्रीहनुमान जंयती, नवरात्रि, दीपावली, होली, झूलोत्सव, रक्षाबंधन, हरियाली तीज इत्यादि धार्मिक पर्व, त्यौहार, महोत्सव आदि सार्वजनिक रूप से आयोजित कर मनाते आ रहे हैं. उपरोक्त मंदिर ग्राम नानकपुर प.ह.नं. 24 दुलचीपुर रा.नि.मं. व तहसील शाहगढ़, जिला सागर में ख. नं. 70 पर स्थित है, उपरोक्त मंदिर की आय का कोई स्त्रोत नहीं होने से एवं धार्मिक, सामाजिक अनुष्ठानों, गौशाला में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु श्री हनुमान जी मंदिर ग्राम नानकपुर के लिये मौजा ग्राम घुटरई प.ह.नं. 24 दुलचीपुर रा.नि.मं. व तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित ख. नं. 90 रकबा 2.02 हेक्टे., ख. नं. 114 रकबा 2.42 हेक्टे., ख. नं. 70 रकबा 0.04 हेक्टे. कुल मेड़ 3 कुल रकबा 4.48 हेक्टे. भूमि श्री देव हनुमान जी मंदिर नानकपुर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है. जिसके प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर हैं. उक्त मंदिर सार्वजनिक है तथा पुण्यार्थ सार्वजनिक धार्मिक पूर्त, गौशाला, नैतिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय, बाग–बगीचा, कृषि आदि लोक हितार्थ उददश्यों की पूर्ति हेतु इस न्यास का पंजीयन कराया जा रहा है. श्री देव हनुमान जी मंदिर के नाम से उक्त भूमि में श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर, संरक्षक/प्रबंधक होंगे.

ऐसी सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल्य सहित जंगम संपत्ति

चल–अचल संपत्ति की सूची (अ) चल संपत्ति तथा सूची (ब) अचल संपत्ति पृथक से पृ.स. (10) पृ.सं. (11) पर संलग्न है.

(क) स्थावर सम्पत्ति के, उस ग्राम या नगर जहां वह स्थित हो, नगरपालिका या सर्वेक्षण या खसरा क्रमांक क्षेत्रफल, निर्धारण और वह अधिकार जिस पर वह धारित हो, सम्पत्ति से संबंधित अधिकार अभिलेखों या नगरपालिका अभिलेखों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें: को भी दर्शाते हुए, विवरण–

(ख) प्रत्येक स्थावर सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य जिसके साथ किसी विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की जावे.

न्याय के आय साधन

वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है, भविष्य में संदर्भित भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने पर आय प्राप्त होगी जो कि अनुमानित 20,000/–रुपया अंकन बीस हजार रूपया प्रतिवर्ष हो सकती है.

कुल वार्षिक औसत आय

भावी भविष्य में कृषि भूमि से अनुमानित 20,000/–रुपया अंकन बीस हजार रूपया प्रतिवर्ष होगी.

वार्षिक औसत व्यय

(क) न्यासधारियों और प्रबंधक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर, (कुछ भी नहीं, अवैतनिक)

(ख) स्थापन और कर्मचारी वर्ग पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं, भविष्य में कृषि भूमि पर कार्य अनुसार दिहाड़ी मजदूरी देय होगी).

(ग) धार्मिक उद्देश्य पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं)

(घ) पुण्यार्थ उद्देश्यों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं)

(ड.) विविध मदों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं)

सूची (अ) चल सम्पत्ति

क्र.	चल संपत्ति	लं.xचौ./भार	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री देव हनुमान जी महाराज की पाषाण मूर्ति	3x2 फीट	11,000/–रु.	
2.	श्री देव गणेश जी महाराज की पाषाण मूर्ति	1x2 फीट	11,000/–रु.	
3.	श्री देव शंकर जी महाराज की पाषाण मूर्ति	2x3 फीट	21,000/–रु.	
4.	श्री देव नंदी जी पाषाण मूर्ति	1x1 फीट	11,000/–रु.	
5.	श्री देव राधाकृष्ण जी पाषाण मूर्ति	2x3 फीट	70,000/–रु.	
6.	श्री देव लड्डू गोपाल जी पीतल मूर्ति	एक बीता प्रमाण	11,00/–रु.	
7.	मुकुट 2 नग, श्री राधाकृष्ण जी के	मनिहारी मीना जड़े कपड़ा के	3,000/–रु.	
8.	पीतल कलश 1 नग बड़ा पीतल कलश 11 नग छोटे	कुल भार 5 किलोग्राम कुल भार 3 किलोग्राम	5,850/–रु. 3,421/–रु.	
9.	रोल्ड–गोल्ड मनिहारी हार 2 नग श्री राधाकृष्ण जी के	कुल भार 50 ग्राम	1,400/–रु.	
10.	श्री राधाकृष्ण जी पोशाक 2 नग	मीना जड़ित	2,000/–रु.	
11.	कांसे की कटोरी 4 नग	कुल भार 200 ग्राम	12,00/–रु.	
12.	तांबे के लोटा 1 नग	कुल भार 250 ग्राम	500/–रु.	
13.	थाली कांसे की 1 नग	कुल भार 500 ग्राम	400/–रु.	
14.	5 ग्लास, 4 जग, 4 थाली, 2 लोटा, 1 बाल्टी सभी स्टील के, 1 डंका, 1 गंजी एल्यूमीनियम	कुल भार 2 किलोग्राम	1000/–रु.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	गरूड़ घंटी पीतल की 1 नग आरती पीतल की 1 नग	कुल भार 200 ग्राम	300/–रु.	
16.	लटकाने वाले घंटा पीतल के 5 नग छोटे–बड़े	कुल भार 9 किलोग्राम	3,800/–रु.	
17.	शंख 1 नग	500 ग्राम	200/–रु.	
18.	झालर घंटा पीतल के 2 नग	3 किलोग्राम	1,300/–रु.	
19.	तखत लकड़ी का	6x4 फीट	6,000/–रु.	
20.	ढोलक 1 नग		1,000/–रु.	
21.	तारें पीतल की 1 जोड़ी	100 ग्राम	500/–रु.	
22.	झूला (पीतल+लकड़ी) 2 नग	100 ग्राम	300/–रु.	
23.	टीन की पेटी 2 नग	10 किलोग्राम	2,100/–रु.	
24.	स्पीकर सेट संपूर्ण यंत्र		16,000/–रु.	
25.	विमान लकड़ी का 1 नग		4,000/–रु.	
26.	चद्दर टीन शेड 10 नग	12x4 फीट	17,000/–रु.	
	संपूर्ण चल संपत्तियों का कुल मूल्य		1,96,371/–रु.	सभी का अनुमानित मूल्य

सूची (ब) अचल संपत्ति

क्र.	अचल संपत्ति	क्षेत्रफल/भार	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री गणेश जी मंदिर	5x11 फीट	1,00,000/–रु.	अतिप्राचीन
2.	श्री राधाकृष्ण मंदिर	10x27 फीट	3,00,000/–रु.	प्राचीन
3.	श्री शंकर जी मंदिर	10x12 फीट	2,50,000/–रु.	प्राचीन
4.	श्री हनुमान जी मंदिर	5x11 फीट	1,00,000/–रु.	प्राचीन
5.	धर्मशाला	12x27 फीट	6,00,000/–रु.	
6.	कुंआ	12x22 फीट	2,50,000/–रु.	प्राचीन
7.	यज्ञशाला	25x25 फीट	25,000/–रु.	प्राचीन
8.	बैठक चबूतरा	10x15 फीट	20,000/–रु.	प्राचीन
9.	मंदिर प्रांगण फर्श पक्का	60x50 फीट	1,50,000/–रु.	प्राचीन
10.	श्री तुलसाना	3x4 फीट	5,000/–रु.	प्राचीन
11.	साम्रगी कक्ष	3x10 फीट	10,000/–रु.	
12.	भोजनशाला	12x12 फीट	80,000/–रु.	
13.	कृषि भूमि असिंचित ख.नं. 90,114	रकबा क्रमशः 2.02, 2.42 हेक्टेयर.	8,36,000/–रु.	
	संपूर्ण अचल संपत्तियों का		27,26,000/–रु.	अनुमानित मूल्य

प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :– (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है. उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय– व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना.

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए.

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी.

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी.

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी. साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर ग्राम नानकपुर का नवीन समिति का गठन किया जाना है, अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 22 जून, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

शशि मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-351)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 23 जून, 2021

फार्म नंबर–4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स–5(1) के अंतर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष.

क्र.–3839.रीडर–1–2021.–आवेदक अध्यक्ष श्री अवधेश कैलाशचन्द्र कानुनगो, निवासी सुखविलास कॉलोनी बड़वानी, द्वारा नार्मदीय ब्राम्हण समाज सामाजिक न्यास बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम–1962 के अन्तर्गत नार्मदीय ब्राम्हण समाज सामाजिक न्यास बडवानी का पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंध के नाम पे निम्नानुसार है :–

1.	पुज्यनिय सलिल सरिता–मॉ नर्मदा	संरक्षक
2.	कैलाशचन्द्र पिता केदारनाथ जोश जाति ब्राहम्ण आयु–80 वर्ष, धंधा–पेंशनर, निवासी–बडवानी.	संरक्षक
3.	अवधेश पिता कैलाशचन्द्र कानूनगो, आयु–43 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–सुखविलास कॉलोनी, बडवानी.	अध्यक्ष
4.	जयदेव पिता शांतीलाल जोश, आयु–51 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–बडवानी.	उपाध्यक्ष
5.	मनिष पिता संतोष जोशी, आयु–40 वर्ष, धंधा–नौकरी, निवासी–बडवानी.	महामंत्री
6.	अविनेष पिता कैलाशचन्द्र जोशी, आयु–52 वर्ष, धंधा–नौकरी, निवासी–बडवानी.	कोषाध्यक्ष

7.	विपल्व पिता दोमोदर शर्मा, आयु–45 वर्ष, धंधा–नौकरी, निवासी–बडवानी.	सदस्य
8.	विवेक पिता त्रिभुवन मलतारे, निवासी बडवानी	सदस्य
9.	राहुल पिता जगदीश नेगी, निवासी बडवानी	सदस्य
10.	भुपेन्द्र पिता ओमप्रकाश विल्लौरे, निवासी बडवानी	सदस्य
11.	विपुल पिता दत्तात्रेय, निवासी बडवानी	सदस्य
12.	संदीप पिता राधेश्याम, निवासी बडवानी	सदस्य
13.	सुशिल पिता नटवरलाल डोंगरे, निवासी पाटी	सदस्य

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम, पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है.

लोक न्यास का नाम	:	नार्मदीय ब्राम्हण समाज सामाजिक न्यास बड़वानी
न्यास का कार्यालय	:	रेवांचल मांगलिक परिसर (नार्मदीय ब्राहम्ण समाज धर्मशाला, बडवानी इकाई) राजघाट रोड, बडवानी, जिला बडवानी.
न्यास कार्यक्षेत्र	:	संपूर्ण बडवानी, जिला बडवानी.
अचल सम्पत्ति	:	नार्मदीय ब्राम्हण समाज बडवानी पदेन अध्यक्ष कैलाशचन्द्र पिता केदारनाथ जोशी, निवासी बडवानी वगैरह–1.

ग्राम कस्बा बडवानी पटवारी हल्का नम्बर 12 सर्वे नम्बर 209/2, 210, 212, कुल रकबा 3.78 पैकि रकबा 128x170 वर्गफिट.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी.

आज दिनांक 23 जून, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम धनगर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-352)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सिवनी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 06 जुलाई 2021

प्रारूप–तृतीय

[नियम 5(1) देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत)

क्र.–128–रीडर–एक–2021.–एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण डॉ. गजेन्द्र डहरवाल, निवासी–दादू धर्मशाला के सामने, आजाद वार्ड, सिवनी व अन्य 11 के द्वारा द परफेक्ट हैल्थ ट्रस्ट, सिवनी, आरोग्य श्री आयुर्वेद पंचकर्म, हॉस्पिटल, सिवनी के द्वारा योग के प्रचार प्रसाद हेतु योग प्रशिक्षण एवं योग चिकित्सा केन्द्र, आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना आयुर्वेदीय चिकित्सा हेतु रिसर्च सेंटर एवं प्रयोगशाला खोलना, गरीबों एवं असाह व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना, योग एवं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना असहाय एवं निर्धनों की यथा सम्भव मदद करना, ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण समस्याओं का निराकरण करना, प्राकृतिक आपदाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता, सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं का उन्मूलन, नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना, जनसुविधार्थ कार्य, आम नागरिक विशेषतः महिलाओं एवं युवा वर्ग एवं बालकों के लिए खेल प्रोत्साहन एवं उन्नति, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, गौ मूत्र एवं पंचगव्य चिकित्सा का प्रचार प्रसार, लावारिस एवं निर्धन वर्ग के मृत्कों की अंतिम यात्रा, दाह संस्कार, आम नागरिकों के बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, नैतिक उत्थान एवं उन्नति, पशु–पक्षियों एवं गोवंश की सेवा स्वास्थ्य चिकित्सा देख–रेख, सनातन धर्म के सभी पर्व, उत्सव जन्म उत्सव आयोजन एवं अन्य कार्य आदि के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की

धारा 4 के अंतर्गत द परफेक्ट हैल्थ ट्रस्ट, सिवनी आरोग्य श्री आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल, सिवनी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतदद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित दिनांक 11.09.2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम	:	द परफेक्ट हैल्थ ट्रस्ट, सिवनी आरोग्य श्री आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल, सिवनी.
2. चल संपत्ति	:	5500.00 (पांच हजार पांच सौ रुपये)
3. अचल संपत्ति	:	निरंक.

अंकुर मेश्राम, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-353)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

मण्डलेश्वर, दिनांक .....जुलाई 2021

फार्म–4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

रा.प्र.क्र. 0001–बी–113(1)–2021–22.–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मदन मुरारी सिन्हा पिता श्री मोहन प्रसाद सिन्हा निवासी के–203 प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट, सेक्टर–120 नोएडा उ.प्र. न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा "शकुन्तलम मोहनम वृद्ध सेवा संस्थान" प.ह.नं. 19, ग्राम गवला, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा–4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः, मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

उक्त आवेदन–पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम	:	"शकुन्तलम मोहनम वृद्ध सेवा संस्थान" प.ह.नं. 19 ग्राम गवला, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश.
2. न्यास का पता	:	प.ह.नं. 19 ग्राम गवला तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश.
3. चल संपत्ति	:	5,100/–
4. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 07 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-354)

न्यायालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 08 जुलाई 2021

प्रारूप क्रमांक–4

[देखें नियम–5 (1)]

सूचना–पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

प्र.क्र. 0004–बी–113(1)–2020–21.–यह कि "तहाफुज खात्मे नवूवत ग्वालियर चंबल ट्रस्ट" कार्यालय स्थान शाही मस्जिद किला गेट ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतदद्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, कौशलेन्द्र बिक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18 अगस्त 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन कि तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता :		"तहाफुज खात्मे नवूवत ग्वालियर चंबल ट्रस्ट" कार्यालय स्थान शाही मस्जिद किला गेट, ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति	:	21,000/– नगद राशि
3. न्यास की अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 08 जुलाई 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर.

(G-355)

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

(नियम पाँच–1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

प्र.क्र. बी–113–2021–22.–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष रजा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मामू कॉलोनी लालबाग, तहसील बुरहानपुर व जिला बुरहानपुर द्वारा श्री कमरूद्धीन पिता अमीनउद्दीन निवासी वार्ड नंबर 45 चित्रा टाकीज के पास गुलाबगंज बुरहानपुर एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 14 जुलाई 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध (कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर

या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. रजा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मामू कॉलोनी लालबाग तहसील व जिला बुरहानपुर.
2. वर्किंग ट्रस्टी श्री कमरूद्धीन पिता अमीनउद्वीन निवासी वार्ड नंबर 45 चित्रा टाकीज के पास गुलाबगंज, बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : 1000/–.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

जारी दिनांक 15 जुलाई 2021

के. आर. वडोले, पंजीयक.

(G-356)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश

आगर, दिनांक 15 जुलाई, 2021

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम–5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम–5(2) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर–मालवा के समक्ष.

रा.प्र.क्र.01–बी–113/2021–22–क्र.–लोकन्यास–2021–1988.–आवेदक श्री सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल अटल निवासी आगर, तहसील आगर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री चिंताहरण गणेश मंदिर सेवा ट्रस्ट, तहसील आगर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05 अगस्त, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री चिंताहरण गणेश मंदिर सेवा ट्रस्ट, तहसील आगर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	अनुमानित मूल्य रुपये– 3,64,205/– नगदी (अक्षरी रुपये तीन लाख, चौसठ हजार, दो सौ पांच मात्र)

राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, पंजीयक.

(G-357)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 27 जुलाई, 2021

प्रारूप क्रमांक–4

[देखें नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम–5 (1) के द्वारा]

प्र.क्र. 0001–बी–113(1)–2021–22.–यह कि " बल्देवराज स्मृति सेवा भारती न्यास ग्वालियर" कार्यालय स्थान 6 बी सिटी सेंटर

ग्वालियर, जिला ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 25 अगस्त, 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं लोक न्यास पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25 अगस्त, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन कि तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. नाम और पता	:	" बल्देवराज स्मृति सेवा भारती न्यास ग्वालियर" कार्यालय स्थान 6 बी सिटी सेंटर ग्वालियर, जिला ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति	:	2,9360/– (औसत सकल वार्षिक आय सार्वजनिक फंडिंग)
3. अचल सम्पत्ति	:	30,00,000/–

आज दिनांक 27 जुलाई, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर.

(G-358)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

गोटेगांव, दिनांक 28 जून 2021

पंजीयक लोक न्यास गोटेगाँव, जिला नरसिंहपुर के समक्ष

क्र. 171–प्रवाचक 1–लो.न्या. 2020–21.–चूंकि, श्री चक्रेश कुमार जैन करकबेल अन्य निवासी करकबेल, तहसील गोटेगांव ने श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट के मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 जुलाई, 2021 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, श्रीमति निधि सिंह गोहल, लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 19 जुलाई, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वालों और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना को प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता)

सम्पत्ति के अनुबंध है. पंजीयन उपरांत क्रय की जावेगीं.

विवरण मौजा बौछार न.बं. 429 प.ह.नं. 10 ख.न.बं. 188/38

रकवा 1400 वर्गफुट भू–भाटक 8 रुपये

नाम : श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट बौछार, गोटेगांव.

निधि सिंह गोहल, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-359)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, मनावर–धरमपुरी क्षेत्र, जिला धार, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. ....–बी–113–2021–22.–एतद्द्वारा सर्व–साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष–बसंतलाल पिता हरिलाल पंड्या, निवासी उदयपुर डूंगरपुर लिंक मार्ग, शारदा नगर मार्ग, बांसवाड़ा (राजस्थान) हा.मु. लुन्हेराखुर्द, तहसील धरमपुरी एवं सचिव महेश कुमार पिता गेंदालाल सुर्यवंशी, निवासी हा.मु. लुन्हेराखुर्द, तहसील धरमपुरी, जिला–धार (म.प्र.) आदि–08 द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा–4 के अन्तर्गत ग्राम लुन्हेराखुर्द, तहसील धरमपुरी, जिला– धार में "सनातन धर्म ट्रस्ट, ग्राम लुन्हेराखुर्द, तहसील धरमपुरी, जिला–धार" के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया.

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा–4 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किए जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह स्वयं या मार्फत् अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के एक माह के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर, अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 28 जून, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

राहुल चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक.

(G-360)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 धारा 9 (1) के अंतर्गत]

प्र.क्र.–0001–बी–113 (4)–2021–22.–आवेदक अध्यक्ष न्यासी श्री मारूती पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति ट्रस्ट श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, ग्राम नावघाटखेड़ी ट्रस्ट बड़वाह, तहसील बड़वाह जो पूर्व से पंजीयन क्रमांक–20, दिनांक 28 जुलाई, 2017 से गठित हैं, जिसमें परिवर्तन किये जाने हेतु न्यासी की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा–9 (1) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि पंजीकृत ट्रस्ट में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाने हेतु निवेदन किया गया है:–

न्यासी शिवलाल पटेल पिता अम्बालाल पटेल, उपाध्यक्ष को हटाया जाकर नवीन सदस्य धर्मेन्द्रसिंह पिता जयपालसिंह ठाकुर निवासी बड़वाह, पं. अमित पिता जगदीशचन्द्र शर्मा निवासी इन्दौर, महंत मनमोहन जी (राधे राधे) बाबा इन्दौर, हनुमानदासजी निवासी टिमरनी तथा मीना शाह इन्दौर को जोड़ा जाने का निवेदन किया गया है.

अतः उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित में प्रकाशन दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुकूल जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(G-361)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 01 अप्रैल 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–वृन्दावन साख सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है कि, तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की

उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत वृन्दावन साख सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2021/285.–गेलहितकारिणी साख सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत गेलहितकारिणी साख सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झाराडाबर का पंजीयन क्रमांक 713, दिनांक 06 नवम्बर, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के

अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झाराडाबर का पंजीयन क्रमांक 713, दिनांक 06 नवम्बर, 1999 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–प्राणनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवगढ़ का पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत प्राणनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शिवगढ़ का पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–जय भोलेनाथ कडकनाथ सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 27 जनवरी 2018 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत जय भोलेनाथ सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 27 जनवरी 2018 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मुवेल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–लक्ष्य साख सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत लक्ष्य साख सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–ऊँ नारायण सांई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भूरीमारी का पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 09 जून 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत ऊँ नारायण सांई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भूरीमारी का पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 09 जून 2010 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह गुण्डिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–पंडित दीनदयाल प्राथ. उ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 15 जून 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के

संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल प्राथ. उ. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 15 जून 2012 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 05 फरवरी 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 05 फरवरी 1981 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–प्रा. महिला ओद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नयागाँव जागीर का पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 09 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप

संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत प्रा. महिला ओद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नयागाँव जागीर का पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 09 अप्रैल 2008 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70)(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–नेंचरल सेल्फिंग साख सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 14 मई 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत नेंचरल सेल्फिंग साख सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 14 मई 2003 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सौलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परिसमापन/2021/285.–मॉ कालिका कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, धामनिया का पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 30 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत मॉ कालिका कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, धामनिया का पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 30 मार्च 2017 को

परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, गोमला का पंजीयन क्रमांक 1156, दिनांक 09 जनवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, गोमला का पंजीयन क्रमांक 1156, दिनांक 09 जनवरी, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मूबैल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–चर्मकार उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, राणापुर का पंजीयन क्रमांक 328, दिनांक 04 फरवरी 1956 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत चर्मकार उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, राणापुर का पंजीयन क्रमांक 328, दिनांक 04 फरवरी 1956 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह गुण्डिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–सिद्धी विनायक साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1112, दिनांक 20 फरवरी 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत सिद्धी विनायक साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1112, दिनांक 20 फरवरी 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छायनपूर्व का पंजीयन क्रमांक 1120, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छायनपूर्व का पंजीयन क्रमांक 1120, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, भूराडाबरा का पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने

के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, भूराडाबरा का पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 09 जनवरी, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मुवेल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, पारा का पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 19 फरवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया.है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, पारा का पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 19 फरवरी 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मुवेल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रा. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 29 मार्च 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रा. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 29 मार्च 2010 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–मारूति प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 19 सितम्बर 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत मारूति प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 19 सितम्बर 2013 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–आशा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1189, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत आशा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1189, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.—उत्तम साख सहकारी समिति मर्यादित, काकनवानी का पंजीयन क्रमांक 1107, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.—234—क्षे.स.—डी.आर.—झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम—1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को—ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—69(2) के अन्तर्गत उत्तम साख सहकारी समिति मर्यादित, काकनवानी का पंजीयन क्रमांक 1107, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा—70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सौलंकी, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.—आशीर्वाद साख सहकारी समिति मर्यादित, सारंगी का पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.—234—क्षे.स.—डी.आर.—झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम—1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को—ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—69(2) के अन्तर्गत आशीर्वाद साख सहकारी समिति मर्यादित, सारंगी का पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा—70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2021/285.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपलखूंटा का पंजीयन क्रमांक 1004, दिनांक 30 अगस्त 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा—69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय

एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिपलखूंटा का पंजीयन क्रमांक 1004, दिनांक 30 अगस्त 2006 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–गंगामोती साख सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1128, दिनांक 28 अगस्त 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत गंगामोती साख सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1128, दिनांक 28 अगस्त 2015 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–माहीमाता जैविक उद्यानिकी सहकारी समिति मर्यादित, नोडायता का पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत माहीमाता जैविक उद्यानिकी सहकारी समिति मर्यादित, नोडायता का पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–मारूति साख सहकारी समिति मर्यादित, रानापुर का पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 21 फरवरी 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत मारूति साख सहकारी समिति मर्यादित, रानापुर का पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 21 फरवरी 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री गोविंद गुण्डिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–आदिवासी मत्स्यपालन सहकारी समिति मर्यादित, गुलाबपुरा का पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 24 अप्रैल 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत आदिवासी मत्स्यपालन सहकारी समिति मर्यादित, गुलाबपुरा का पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 24 अप्रैल 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मुवेल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–सिलाई कढाई बुनाई बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत सिलाई कढाई बुनाई बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 16 जनवरी 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, पलासडोर का पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 09 अक्टूबर 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, पलासडोर का पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 09 अक्टूबर 2001 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सौलंकी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70)(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, बरवेट का पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 24 नवम्बर 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय

एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, बरवेट का पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 24 नवम्बर 2012 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–विश्वास साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 04 मई 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत विश्वास साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 04 मई 2016 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2021/285.–श्रीनाथ ईट निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बोडायना का पंजीयन क्रमांक 1091, दिनांक 24 नवम्बर 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत श्रीनाथ ईट निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बोडायना का पंजीयन क्रमांक 1091, दिनांक 24 नवम्बर 2012 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–प्राण नाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सजैली नमन्ना साथ का पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत प्राण नाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सजैली नमन्ना साथ का पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–कड़क नाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, दौलतपुरा का पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 29 जून 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत कड़क नाथ मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्यादित, दौलतपुरा का पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 29 जून 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मूवेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–कदवाल मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, सजैली सूरजी मोगजी साथ का पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 19 जनवरी 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत कदवाल मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, सजैली सूरजी मोगजी साथ का पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 19 जनवरी 2011 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–ग्रीन बैली बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 25 सितम्बर 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत ग्रीन वैली बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 25 सितम्बर 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–किसान लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गड़वाड़ा का पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 29 जनवरी 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये

जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत किसान लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गड़वाड़ा का पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 29 जनवरी 2008 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि–2021–285.–महाकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 9 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत महाकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 9 जुलाई 2018 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सौलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि–2021–285.–सहयोग साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 19 फरवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत सहयोग साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 19 फरवरी 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहू, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि–2021–285.–गिरीराजधरण प्राथ.उप.भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 7 जुलाई 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत गिरीराजधरण प्राथ.उप.भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 7 जुलाई 2012 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि–2021–285.–लबाना साख सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 28 मई 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत लबाना साख सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 28 मई 2015 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–ईंट निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 29 अगस्त 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र. 234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत ईंट निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 29 अगस्त 2009 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–माँ तुलसी कृपा मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत माँ तुलसी कृपा मत्स्य पालन साख सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 15 अक्टूबर 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–पद्मावती महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 27 मई 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय

एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत पद्मावती महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 27 मई 2017को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–श्री बाबा देव कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, नयागांव जागीर का पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 14 जून 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत श्री बाबा देव कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, नयागांव जागीर का पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 14 जून 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2021–285.–मारूती प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 7 जून 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत मारूति प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 7 जून 2012 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, संजवानी बडो का पंजीयन क्रमांक 1118, दिनांक 3 सितम्बर 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाई उचित है. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, संजवानी बडो कापंजीयन क्रमांक 1118, दिनांक 3 सितम्बर 2014 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह गुण्डिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–जयभीम कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, डुड़का का पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 29 अगस्त 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत जयभीम कड़कनाथ सहकारी समिति मर्यादित,डुंड़का का पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 29 अगस्त 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री तोलाराम मुनिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–किसान एग्रीटेक सहकारी समिति मर्यादित, थान्दला का पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 14 मार्च 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत किसान एग्रीटेक सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 14 मार्च 2016 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सौलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–स्किलनेट बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1174, दिनांक 30 मई 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था "द" वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत स्किलनेट बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1174, दिनांक 30 मई 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहु, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोडामना का पंजीयन क्रमांक 1059, दिनांक 4 सितम्बर 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई 2019 के द्वारा स्वयं

ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बोडामना का पंजीयन क्रमांक 1059, दिनांक 4 सितम्बर 2010 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहु, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–भोलेनाथ कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, रंगपुरा का पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 22 फरवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत भोलेनाथ कड़कनाथ सहकारी समिति मर्यादित, रंगपुरा का पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 22 फरवरी 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–कालिका मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, बोडामना का पंजीयन क्रमांक 1087, दिनांक 26 नवम्बर 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के

अन्तर्गत कालिका मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, बोडामना का पंजीयन क्रमांक 1087, दिनांक 26 नवम्बर 2002 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री हितेश साहु, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, खजुरी का पंजीयन क्रमांक 1161, दिनांक 22 फरवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, खजुरी का पंजीयन क्रमांक 1161, दिनांक 22 फरवरी 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–डामोर कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 24 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वंय ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत डामोर कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 24 मार्च 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मूवैल, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

(G-362)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) एवं 70(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2021–285.–सांगा कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, रोजिया का पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं नियामकीय विभाग जो कि इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर के पत्र क्र.–234–क्षे.स.–डी.आर.–झाबुआ, दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा स्वयं ही उनके अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है. उक्त के अनुक्रम में अधिकृत अंकेक्षक द्वारा भी परीक्षण में उल्लेखित किया है, कि तथा संस्था ''द'' वर्ग एवं अकार्यशील होने से प्रस्तावित वैधानिक कार्यवाही उचित है. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम–1962 फलस्वरूप संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69(2) के अन्तर्गत सांगा कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, रोजिया का पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को परिसमापन की प्रक्रिया में लेते हुये अधिनियम की धारा–70(1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सह. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 03 माह की अवधि में परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-362)

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, सह उपायुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 9 जून 2021

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, सामली, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 12 जून 1995 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 231–34 दिनांक 18 मार्च 2014 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(100)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्भारखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 17 मार्च 1984 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 477 दिनांक 18 जुलाई 2019 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक

26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, गडुली, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 466, दिनांक 4 अगस्त 1980 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 477, दिनांक 18 जुलाई 2019 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 6 सितम्बर 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 6 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित,खच्चरटोड़ी, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 4 अगस्त 1980 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 477, दिनांक 18 जुलाई 2019 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, छायनपूर्व, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 416, दिनांक 18 जुलाई 2019 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, उन्नई तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 1041, दिनांक 17 अगस्त 2009 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 213–33, दिनांक 18 मार्च 2014 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

क्र.–परिसमापन–2021–406.–दुग्ध उत्पादन, सहकारी संस्था मर्यादित, बखतपुरा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 19 मार्च 1997 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 567, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 9 जून 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 9 जून 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-362)

झाबुआ, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र.–परिसमापन–2021–526.–दुर्गेश्वरी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, पारा तहसील रामा, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 993, दिनांक 5 जून 2004 को कार्यालयीन आदेश क्र.–परिसमापन 213–5 दिनांक 18 मार्च, 2014 से म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन–देन शेष नहीं हैं.

अतः, मैं, अम्बरीष वैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई 2021 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष बैद्य, डिप्टी रजिस्ट्रार सह–उपायुक्त, सहकारिता.

(G-362)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021—श्रावण 22, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.